



जेपीआर 5-751

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं० 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302008
फोन नं० - 0141-2747041, फैक्स नं० - 0141-2744803

Email - secomml@jvvn.in

क० जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी-1/एफ.4(236)पार्ट-11/प्रे० 2269 जयपुर, दिनांक-
26/03/2015

आदेश

विषय - ओलावृष्टि से प्रभावित अलवर एवं बारां जिले के कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत।

राज्य सरकार ने माह दिसम्बर 2014 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित अलवर एवं बारां जिले के किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 25.02.2015 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह नवम्बर 2014, दिसम्बर 2014, जनवरी 2015 एवं फरवरी 2015 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
- (2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
- (3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), अलवर एवं बारां, जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (नियंत्रण), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (नियंत्रण) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से

(ए.के.सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)